वर्तमान भारतीय गणतंत्र की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी

श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान,
पं. शंभुनाथ शुक्ल वि.वि.शहडोल,म.प्र.

सारांश– राजनीति एवं प्रशासनिक क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में महिलाओं की भागीदारी भारत के पचास प्रतिशत विकास को प्रभावित करती है पर भारत में अभी तक इस क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी नगण्य ही रही है। उनको दिया जाने वाला आरक्षण एक सतही किंतु प्रारंभिक तौर महत्वपूर्ण कदम है जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के साथ–साथ उनके विकास और भारत के विकास के दरवाजे भी खुल जाते हैं। महिलाओं की इस प्रकार की भागदरी में आने वाली बाधाओं में सबसे बड़ी अशिक्षा, निर्धनता, सामाजिक–पारिवारिक दायरे, आदि चुनौती बनकर उभरी हैं। जिसके निराकरण के लिए शासन के साथ पूरे समाज और प्रशासन को एकसाथ आगे आना होगा तभी देश के विकास की दर में उनका योगदान पचास प्रतिशत तक पहुँचाया जा सकता है। प्रस्तुत शोधपत्र महिलाओं की इस भागदारी की वर्तमान परिस्थितियों की दिशा एवं दशा की पड़ताल करने कव प्रयास करता है।

की–वर्ड– निवारण– समाधान, पुरुषसत्तात्मक– पितृसत्तात्मक(पुरुषप्रधान), भागीदारी– सहभागिता, सक्रमित– प्रभावित, बराबरी– समानता।

प्रस्तावना–हमारे देश में महिलाओं जनप्रतिनिधित्व पर आज बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जो कि एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि ''भारत में स्थानीय शासन का इतिहास लगभग 320 साल पुराना है।''[1] पर आज से पहले किसी भी समय महिलाओं की राजनैतिक एवं प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाने के लिए इतने सक्रिय और इतने ठोस कदम कभी नहीं उठाए गए। आज समान अवसर, ध्यान और समान व्यवहार के माध्यम से समान प्रतिष्ठा देकर महिलाओं को राजनैतिक रूप से बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में महिलाओं के हितों की रक्षा करते हुए केन्द्र शासन की ओर से समय–समय पर विभिन्न प्रावधान भी किए जाते रहे हैं जिससे महिलाएँ स्वतंत्र रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियिम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह(निरसन) अधिनियम 1983, महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1983, पूर्व गर्भधारण एवं पूर्व–प्रसव नैदारिक तकनीक(लिंग चुनाव निषेध) अधिनियम 1994, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मुस्लिम महिला(तलाक अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984, दहेज निषेध अधिनियम 1961, अनैतिक व्यापार(निवारण) अधिनियम 1956, महिला अशोभनीय प्रतिनिधित्व(निषेध) अधिनियम 1956, सती प्रथा(निवारण) अधिनियम 1957 आदि ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिनसे महिलाओं के हितों की रक्षा पंचायत स्तर या ग्राम स्तर या परिवार के स्तर पर भी की जा सकती है। इन सभी अधिनियमितियों का समुचित ज्ञान महिलाओं को कराकर उन्हें जनप्रतिनिधत्व हेतु आगे आने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

उपलब्ध साहित्य–मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम, पंचायत दर्शिका एवं उपलब्ध समीक्षात्मक पुस्तकें।

शोध प्रविधि– प्रस्तुत शोधपत्र के लेखन हेतु तथ्याख्यानपरक विश्लेषणात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है।

विमर्श–''स्थानीय स्वायत्त शासन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और होना भी चाहिए। हम लोगों की आदत हो गई है कि हम लोकतंत्र प्रशासन के ऊँचे स्तरों पर ही सोचते हैं, नीचे के स्तरों पर नहीं। जब तक लोकतंत्र का नीचे की इन आधारशिलाओं पर निर्माण और विकास नहीं किया जाता, तब तक उच्च स्तरों पर वह कदापि सफल नहीं हो सकता।''[2] इसीलिए शायद पंचायती राज के माध्यम से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने हेतु कुछ वर्षों की सरकारों ने अच्छे प्रयास किए हैं जिन्हें देखकर यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व के लिए एक उचित एवं सक्षम अवसर प्रदान करती है।

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद से ही महिलाओं की इसमें भागीदारी के लिए मार्ग बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया था जिसके बाद से महिलाओं के जनप्रतिनिधित्व का मार्ग काफी सुगम होता चला गया। इससे एक ओर तो उनकी राजनैतिक स्थिति में सुधार हुआ वहीं दूसरी ओर उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति भी बेहतर होती चली गई। हालाँकि पंचायती राज व्यवस्था का विकास सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को एक दिशा देने के लिए प्रारंभ किया गया था पर इसके अस्तित्व में आते ही इसके माध्यम से न केवल महिला जागरुकता कार्यक्रम को बढ़ावा मिला बल्कि उनको अपनी स्वयं की तलाश और प्रतिभा के विकास का एक उचित मंच भी मिल गया। हमारे प्रदेश में ''मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1993 को 25 जनवरी 1994 से प्रभावशील किया गया है इसके अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकासखण्ड के लिए जनपद पंचायत और जिले के लिए जिला पंचायत का गठन किया गया है।''[3]

आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में 227698 ग्राम पंचायतों, 5906 पंचायत समितियाँ एवं 474 जिला परिषदें कार्यरत् हैं जिनमें विभिन्न स्तरीय कार्यरत् जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 34 लाख है।''[4] जिसमें भारतीय संविधान के 73 वें संषोधन के महिलाओं को त्रिस्तरीय ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित किए जाने पर भी मध्यप्रदेश में इसका प्रतिशत 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है इससे हमारे यहाँ हर वर्ग की महिलाओं के लिए जनप्रतिनिधित्व के लिए समान अवसर प्राप्त हो रहे हैं जिससे वे अपने परिवार और समाज के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित और शासन–प्रशासन के बारे में भी सोचने के लिए अवसर मिल सके। इतना ही नहीं इस व्यवस्था में यह भी प्रावधान किया गया है कि ''यदि ग्राम पंचायत निर्वाचन में किसी भी ग्राम पंचायत में निर्वाचित पंचों में दो से कम महिलाएँ निर्वाचित हुईं हों तो ग्राम पंचायत इतनी महिलाओं को सहयोजित कर सकती है, जिससे उनकी संख्या कम से कम दो हो जावे। सहयोजित होने की पात्रता उन्हीं महिलाओं को प्राप्त होती थी, जो उस ग्रामसभा की सदस्या हो और ग्राम पंचायत के पंच चुने जाने की योग्यता रखती हों। इसी प्रकार ग्रामसभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या का इन जातियों एवं जनजातियों की संख्या के अनुपात के बराबर पद आरक्षित किये जाने का प्रावधान रखा गया था।''[5] इससे पहली बार दस लाख से भी ज्यादा महिलाएँ जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से राष्ट्रीय विकास का हिस्सा बन पायी हैं। फिर भी यह तथ्य नकारा नहीं जा सकता कि

इनमें से भी अधिकांश निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों को अपने अधिकारों की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाई है जिसका सबसे बड़ा कारण ऐसी महिलाओं के निर्णयों और सहमति पर उनसे जुड़े पुरुष वर्ग का प्रभाव है।

सदियों से पुरुषसत्तात्मक मानसिकता से प्रभावित महिला को अभी अनुकूल परिस्थितियों और जागरुकता की आवश्यकता है। घर–द्वार के कामकाज के लिए सलाह लेकर कार्य करने वाली महिला के लिए आज भी अधिकार संपन्नता के मायने समझने की उतनी समझ नहीं आ पाई है जिसके बल पर वे स्वयं के कुशल प्रशासक के गुण को समझ नहीं पाई हैं। फिर भी महिलाएँ जनप्रतिनिधित्व के माध्यम से राजनीति के क्षेत्र में अग्रसर हो रही हैं और उनकी वर्तमान स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार हुआ है। महिलाओं प्रशासन आदि में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए कई चुनौतियाँ हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता, समानता, न्याय आदि महत्वपूर्ण हैं इनकी उपलब्धि के लिए महिलाओं को जिस संबल की आवश्यकता है उसे प्रदान करना पुरुष वर्ग का कर्तव्य है। उन्हें चाहिए कि वे अपने परिवार की महिलाओं को सामूहिक और राष्ट्रीय हित के लिए कार्य करने के लिए सकारात्मक वातावरण प्रदान करें और उनके काम में कमियाँ ढूँढने की बजाय उन कमियों के समाधान के उपाय सुझाएँ उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करें तथा अपने बूते पर निर्णय लेने हेतु उन्हें तत्पर करें। इसके बिना ग्रामीण विकास या देश का विकास सतही ही रहेगा।

भारत की तीन चौथाई के लगभग आबादी ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है जिसके कारण ग्रामीण विकास के बिना समूचे राष्ट्र के विकास की कल्पना संभव होना अत्यंत कठिन जान पड़ता है। इस कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से पंचायतों को माध्यम बनाया गया और ''सितंबर 1959 को राजस्थान विधान मण्डल ने सबसे पहले 'पंचायत समिति और जिला परिषद् अधिनियम पारित किया और इसके क्रियान्वयन में 2 अक्टूबर 1959 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास के पहले चरण का सूत्रपात किया।''[6] महात्मा गाँधी भी गावों को ही भारत की आत्मा माना करते थे। उनका मानना था कि भारत का विकास बिना गाँवों के विकास के संभव ही नहीं है। स्वतंत्रता के बाद देश का विकास एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जिसपर खरा उतरते हुए महिलाओं को जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में आगे लाने के लिए संविधान में कुछ संशोधन भी किए गए जिनके दौरान यह बात बार–बार सामने आई कि भारत के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास और महिलाओं के राजनीतिक और सामाजिक विकास की अनिवार्य आवश्यकता है। इसी प्रक्रिया के दौरान बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सन् 1959 में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था को लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था में भी जनप्रतिनिधियों के रूप में महिलाओं की राजनैतिक भागीदारी को ध्यान में रखा गया। जिसके कारण एक तिहाई आरक्षण के माध्यम से उनकी भागीदारी बाद में ही सही पर सुनिचिश्त की गई और उसी 73 वें संशोधन की बात की गई जिसकी बात पहले की गई है।

''मध्यप्रदेश पंचायती राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 तैयार कर प्रदेश की विधान सभा से पारित किया गया। दिनांक 25 जनवरी 1994 को महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त होने पर उसे 26 जनवरी 1994 से प्रदेश में इसे प्रभावशील किया गया।''[7] उपरोक्त संशोधन के परिणाम और मध्यप्रदेश के पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रभाव था कि पंचायतों में महिलाओं के नेतृत्व में काफी वृद्धि हुई। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगया जा सकता है कि इस संशोधन के बाद ही तीस लाख से अधिक महिलाओं ने होने वाले चुनावों में भाग लिया था। आज के

परिदृश्य में भी ग्रामीण महिलाओं को घर–परिवार की जिम्मेदारियों और समाज की वर्तमान संक्रमित परिस्थितियों के चलते कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। सन् 1994 में मध्यप्रदेश में सतना जिले के रामपुर बघेलान के छोटे से गाँव इटामा की सरपंच श्रीमती कमलाबाई पूरी पंचायत व्यवस्था के लिए जिस प्रकार उदाहरण बनकर सामने आईं उसी प्रकार आज सभी जनप्रतिनिधियों को आगे आने की आवश्यकता है।

उपसंहार– राजनीति एवं प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में महिलाओं का आरक्षण एक सतही किंतु प्रारंभिक तौर महत्वपूर्ण कदम है जिसके आगे अभी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अशिक्षा, सामाजिक एवं पारिवारिक दायरे, निर्धनता आदि बाधाएँ आज भी महिला भागीदारी के सामने मुँह बाए खड़ी चुनौतियाँ हैं। जिनके निराकरण के लिए पूरे समाज और प्रशासन को एकसाथ आगे आना होगा। इसके लिए आज ''जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकेन्द्रित नियोजन का एक अभिकरण है। इनमें ग्राम पंचायतें ग्राम की आर्थिक समस्याओं के निदान के लिए वे सभी संभव कार्य करती हैं जो सरकार के उत्तरदायित्व माने जाते हैं। ग्राम पंचायतें, ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कार्य करती है जिससे कि ग्रामीण जनता की आय में हर संभव तरीके से वृद्धि की जा सके।''[8]

संदर्भ–

1. वर्मा; अंजली, ''भारत में पंचायती राज'', वर्ष 2009, ओमेगा पब्लिकेशंस, 4378/4/बी, जी–4, जे.एम.डी. हाऊस, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ क्रमांक 12
2. यादव; धर्मेन्द्र सिंह, ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'', वर्ष 2006, रावत पब्लिकेशंस सत्यम अपार्टमेंट, जैन मंदिर रोड़, सेक्टर–3, जवाहर नगर, जयपुर–302004, पृष्ठ क्रमांक 24
3. डॉ. श्रीवास्तव, रश्मि, ''मध्यप्रदेश शासन एवं राजनीति'', वर्ष 2008, कॉलेज बुक डिपो, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर–2, (राज.), पृष्ठ क्रमांक 133
4. डॉ. फड़िया; बी.एल., ''सामान्य अध्ययन–भारतीय राज्य व्यवस्था'', वर्ष 2002, साहित्य भवन पब्लिकेशंस, हॉस्पीटल रोड़, आगरा–282003, पृष्ठ क्रमांक डी–144
5. मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम (7)'', वर्ष 1962, धारा उपधारा (2) खण्ड (3 एवं 5) मध्यप्रदेश शासन, भोपाल से प्रकाशित, पृष्ठ क्रमांक 10
6. नरुला; बी.सी., ''पंचायती राज व्यवस्था'', वर्ष 2009, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, 4831/24, प्रहलाद गली, अंसारी रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली–110002, पृष्ठ क्रमांक 251
7. पंचायत दर्शिका, ''पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग'' मध्यप्रदेश, वर्ष 2015, पृष्ठ क्रमांक 2
8. यादव; धर्मेन्द्र सिंह, ''पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास'', वर्ष 2006, रावत पब्लिकेशंस, सेक्टर–3 जैन मंदिर रोड़, जवाहर नगर, जयपुर –302004, पृष्ठ क्रमांक 24

श्रीमती प्रतिभा गुप्ता, शोधार्थी, राजनीति विज्ञान, पं. शंभुनाथ शुक्ल वि.वि. शहडोल, म.प्र.